

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती चन्दादेवी

विपक्षी :- श्री मथुरालाल

किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 187/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण					इलाख पत्ती का सूचना जारी की गई
	<p>दिनांक : 13.07.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादीयां की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादीयां स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p>परिणामस्वरूप वादीयां का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा वारणी पटवार हल्का वारणी की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-</p>					
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	चन्दादेवी पत्नी किशनलाल गायरी सा. सिहाड नाथद्वारा खातेदार	348 346/1 347/1	0.1942 0.1120 0.1482	बीड खड्डा 0.0081 बा.द्वि. 0.1039 बा.द्वि.	0.39 — 0.15 0.13	
	योग	किता 03	0.4544	—	0.67	
2	धापुबाई पत्नी भज्जा 5301/16662 प्रेम पुत्री भजा 5301/16662 शंकरलाल पुत्र भजा 5301/16662 मथुरालाल पुत्र भजा 759/16662 गुर्जर सा. देह खातेदार	339 366 346/2 347/2	1.1898 0.0405 0.1794 0.2565	बीड चा.प्र. जा.प्र. बा.द्वि. बा.द्वि. बीड	2.38 — 0.01 0.32 0.59 —	
	योग	किता 4	1.6662	—	3.30	
	<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>					



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 187/22 (वाद) GCMS No. : 2022/484

उनवान

- श्रीमती चन्दादेवी पत्नी किशनलाल गाडरी निवासी लोडावास, थामला हाल सिहांड उबा गणेश जी नाथद्वारा तह. नाथद्वारा।

.....वादीया

बनाम

- श्री मथुरालाल पिता भजा गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
- प्रेम पुत्री भजा गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
- श्री शंकरलाल पिता भजा गुर्जर निवासी वारणी तह. मावली।
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.07.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा वारणी पटवार हल्का वारणी की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	चन्दादेवी पत्नी किशनलाल गायरी सा. सिहांड नाथद्वारा खातेदार	348	0.1942	बीड	0.39
		346/1	0.1120	खड्डा 0.0081	-
				बा.द्वि. 0.1039	0.15
		347/1	0.1482	बा.द्वि.	0.13
	योग	किता 03	0.4544	-	0.67
2	धापुबाई पत्नी भज्जा 5301/16662 प्रेम पुत्री भजा 5301/16662 शंकरलाल पुत्र भजा 5301/16662 मथुरालाल पुत्र भजा 759/16662 गुर्जर सा. देह खातेदार	339	1.1898	बीड	2.38
		366	0.0405	चा.प्र.	-
				जा.प्र.	0.01
		346/2	0.1794	बा.द्वि.	0.32
		347/2	0.2565	बा.द्वि.	0.59
	योग	किता 4	1.6662	-	3.30

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 13.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली